

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.11.2022**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 07 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.11.2022**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त श्याम कुमार निषाद उर्फ पवन कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 180 नशीली गोलियाँ (अल्प्राजोलम) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. श्याम कुमार निषाद उर्फ पवन कुमार पुत्र श्री रामसनेही निवासी सुदिया गोडियनपुरवा मौजा सकरौरा ग्रामीण थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-540/22, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 180 नशीली गोली (अल्प्राजोलम टैबलेट)

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 विरेन्द्र बहादुर राय मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 11.11.2022**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रज्जन उर्फ ईशा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 नशीली गोलियाँ (अल्प्राजोलम) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगपुर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रज्जन उर्फ ईशा पुत्र युसुफ निवासी दर्जी पूर्वी खरगपुर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-332/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 120 नशीली गोली (अल्प्राजोलम टैबलेट)

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी मय टीम।